न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 34 / 2025	2025 / 190	16.09.2025	24.12.2025

1.कैलाश पुत्र श्री लक्ष्मण,
2.श्याम सुंदर पुत्र श्री लक्ष्मण,
3.रामेन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासीयान पिराला बास ग्राम छिलोड, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

——अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार रैणी, जिला अलवर (राज०)।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी दिनांक 01.09.2025 प्रकरण संख्या 09 / 2025।

उपस्थितः—
01.श्री के0के0 मीना —वकील अपीलाण्ट्स
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 01.09.2025 प्रकरण संख्या 09 / 2025 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 25 रकबा 0.41 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय जाव 2, खसरा नंबर 26 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय जाव, खसरा नंबर 27 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन गुणी, खसरा नंबर 28 रकबा 0.06 हैक्टेयर गैरमुमकिन चाह, खसरा नंबर 42 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय वाके ग्राम नांगल धन्ना तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। पटवारी हल्का राजपुर छोडा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की पेश की कि गैरसायल कैलाश, श्याम सुंदर, रामेन्द्र पि० लक्ष्मण जाति अहीर निवासी पीराला बास ग्राम छिलोडी तहसील रैणी जिला अलवर द्वारा ग्राम नांगल धन्ना में स्थित आराजी खसरा नंबर 25 रकबा 0.41 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय जाव 2, खसरा नंबर 26 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय जाव, खसरा नंबर 27 रकबा 0. 04 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन गुणी, खसरा नंबर 28 रकबा 0.06 हैक्टेयर गैरमुमकिन चाह, खसरा नंबर 42 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय वाके ग्राम नांगल धन्ना तहसील रैणी जिला अलवर पर कब्जा काश्तकार अनाधिकृत रूप से पुनः अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलाण्टान को राज० भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल पेशी सुनवाई दिनांक 31.07.2025 को उपस्थित रहा, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब / साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इसके पश्चात अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु पुनः अवसर देते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 06. 08.2025 व 01.09.2025 नियत की गई, लेकिन अप्रार्थीगण न तो उपस्थित हुये और ना ही उसकी ओर से बचाव में कोई सबूत पेश किया, ना ही जवाब नोटिस पेश कर सबूत का अवसर चाहा गया। प्रश्नगत आराजी जिस पर अतिचारी द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत एवं श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय से प्राप्त शिकायत पर अस्थायी अतिक्रमण को पुलिस जाब्ते / राजस्व टीम की सहायता से दिनांक 13.06.2025 को हटवा दिया गया व अतिचारी को अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। बावजूद अतिचारी ने उक्त भूमि को जोत कर बाजारा बोकर व बाड लगाकर पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। पटवारी हल्का के बयान लिये, पटवारी ने बताया कि गैरसायल ने पूर्व से उक्त भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके संबंध में राज० भू—राजस्व अधिनियम की रिपोर्ट की जाकर अतिचारी अतिक्रमण करना सिद्ध हुआ है गैरसायल अतिचार करने का दोषी पाया जाता है, प्रश्नगत आराजी जो मन्दिर माफी की भूमि है, गैरसायलान को मन्दिरमाफी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, अतिचारी व ग्रामीणों में जनआक्रोश व्याप्त है आदि—आदि पर दिनांक 01.09.2025 को अपना आलोच्य आदेश पारित कर अपीलाण्टान को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत उक्त आराजी पर अतिकृमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अमल में लाई गई तथा अपीलाण्टान के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये। जिस आलोच्य आदेश से व्यथित होकर अपील हाजा निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

आलोच्य आदेश को पारित करते समय मिन अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलाण्टान ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अधीनस्थ के समक्ष अपनी पैरवी एवं जवाबदेही हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जिसके द्वारा तारीख पेशी दिनांक 31.07.2025 को अपीलाण्ट को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया तथा आगामी कार्यवाही हेतु अपीलाण्टान को बताने का आश्वासन दिया, किन्तु अपीलाण्टान के अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्टान को कोई सूचना नहीं दी गई, जिस कारण अपीलाण्टान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके, तथा अपनी प्रतिरक्षा का सम्पूर्ण अवसर प्राप्त करने से वंचित हो गये। जिस कारण से भी अधीनस्थ निरस्त किये जाने योग्य है निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय इस अहम तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही मन्दिरमाफी की भूमि नहीं थी, बल्कि उक्त भूमि रियासतकालीन भूमि थी, जिस पर अपीलाण्टान के बुजुर्गान रियासतकाल से ही काश्त कर रहे थे, तथा टिनेंसी एक्ट लागू होने के उपरांत उक्त भूमि को तत्कालीन राजा द्वारा मन्दिर को दान कर दिया गया था, चूंकि उक्त विवादित भूमि पर अपीलाण्टान के बुजुर्गान का रियासतकाल से ही कब्जा काश्त रहा था, जिस कारण अधीनस्थ द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष कब्जे के आधार पर रेफरेंस पेश किया गया, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रेफरेंस को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रेषित किया गया। जिस रेफरेंस को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10.04.2008 को आदेश पारित कर स्वीकार कर लिया गया। किन्तु उक्त आदेश अपीलाण्टान की अनुपस्थिति में पारित किया गया था, जिस कारण उक्त आदेश की जानकारी अपीलाण्टान को पूर्व में नहीं हो सकी, अपीलाण्टान को उक्त आदेश की जानकारी वर्ष 2022 में होने पर अपीलाण्टान द्वारा एक रिव्यू पिटीशन नंबर 2265/2022 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 05.06.2024 को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज फरमा दिया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्टान द्वारा एक एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 28305/2025 माननीय राज० उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष पेश की, जो माननीय राज० उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष लंबित है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 12.09.2025 की नियत थी, जिस दिन कार्य स्थगन होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी के संबंध विवाद माननीय राज० उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के यहां लंबित है, जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्टान द्वारा दिये जाने के बावजूद उक्त आलोच्य आदेश पारित किये गये हैं, तथा विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को अतिकृमी मानते हुये बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। जिससे अपीलाण्टान को भारी नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है और अपीलाण्ट को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश खारिज किये जाने योग्य है खारिज किया जावे।

अपीलाण्ट रियासतकाल से ही अपने बुजुर्गों के समय से उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, तथा राजस्व रिकार्ड में बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार चले आ रहे थे, तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्टान के बुजुर्गान द्वारा चाह बनाया हुआ है, तथा उक्त चाह पर विद्युत कनैक्शन भी लिया हुआ है। उक्त भूमि प्रारम्भ से ही मन्दिरमाफी की भूमि नहीं रही है, बल्कि उक्त भूमि अपीलाण्टान के बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्तकारी खातेदारी में चली आ रही है। उक्त विवादित आराजी पर काश्तकारी कार्य से ही अपीलाण्टान के परिवार का भरण–पोषण चलता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पूर्व रिकार्ड का अवलोकन किये, तथा बिना मौके की वास्तविक रिपोर्ट लिये, केवल पटवारी हल्का द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय अहम तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि उक्त विवादित भूमि मन्दिर माफी के नाम से है, किन्तु जिस क्षेत्र में उक्त भूमि स्थित है, वहां कोई मंदिर नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है, ऐसी सूरत में मंदिर क्षेत्र से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित भूमि पर मंदिरमाफी की खातेदारी रिकार्ड व मौके के विपरीत प्रमाणित होती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित कर अपीलाण्टान को अतिकृमी मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल किये जाने, तथा मौके पर खडी बाजरे की फसल को कब्जे राज लिया जाकर अपीलाण्टान के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का प्रचलन रहता है, तो ऐसी सूरत में अपीलाण्टान तबाह एवं बरबाद हो जायेंगे, तथा अपीलाण्ट व उसके परिवार को काफी आर्थिक क्षति व मानसिक संताप होगा। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को निरस्त किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जाना न्यायोचित है। शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील अपीलाण्टान प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील हाजा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजि० रैणी जिला अलवर का आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2025 को अपास्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभापक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का राजपुर छोटा की संवत 2082 की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2025 के अनुसार कैलाश, श्यामसुंदर और रामेन्द्र पुत्रान लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासी पिराला बास छिलोडी द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 25(रकबा 0.41 है0 किस्म चाही 2 जाव), 26(रकबा 0.34 है0 किस्म चाही 2 जाव), 27(रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0गुणी), 28(रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 चाह), 42(रकबा 0.44 है0 किस्म चाही 2) में क्रमशः जोत–तारबंदी, बाजरा, तारबंदी, तारबंदी, बाजरा–जोत लगाकर पश्चात वृति अतिक्रमण किया हुआ है। वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व से ही हमारे बुजुर्गान/विरासतकाल से ही कब्जे की आराजी रही है किन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं या बुजुर्गान की कब्जे/खोतदारी के संबंध में कोई ठोस तथ्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किये, केवल जुबानी तौर पर कहने से आराजी पर खातेदारी सिद्ध नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांटस दिनांक 31.07.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ किन्तु अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जबाव/साक्ष्य पेश नहीं किय गया। विवादित आराजियात से श्रीमान जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के आधार पर दिनांक 13.06.2025 को पुलिस जाप्ते/राजस्व टीम की सहायता से हटवा दिया गया था। किन्तु अपीलांट्स द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी मन्दिरमाफी की भूमि है तथा मन्दिरमाफी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अपीलान्ट्स द्वारा पश्चात वृति अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार मंदिर माफी भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 01.09.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा प्रकरण संख्या 09/2025 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर